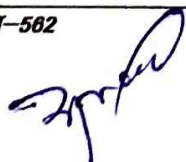
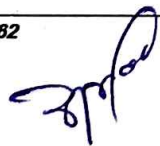


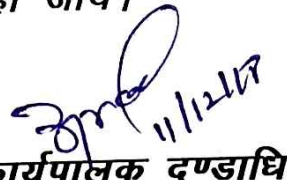
आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.12.2018	<u>न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।</u> <u>आदेश</u> <u>विविध वाद संख्या-131/2008</u> <u>धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u> मंजू देवी वगैरह ————— प्रथम पक्ष <u>बनाम</u> शिव साव वगैरह ————— द्वितीय पक्ष यह वाद थाना प्रभारी, छत्तरपुर के अप्राथमिकी सं०- 06/2008 के आधार पर मौजा- छत्तरपुर (सोनार मुहल्ला), खाता संख्या- 4, प्लॉट सं०- 186, रकबा- 0.03 एकड़, चौहद्दी:- उत्तर- फुलवा दुसधीन, दक्षिण- रोड, पूर्व- दारोगा धोबी, पश्चिम- खेत रामजीतन ठाकुर, प्लॉट सं०- 145, रकबा-0.02 एकड़, चौहद्दी:- उत्तर- सुखदेव वल्देव, दक्षिण- समारू, प्रभुदेव, पूरब- रोड, पश्चिम- दारोगा, एवं प्लॉट सं०- 144, रकबा- 0.07 एकड़, चौहद्दी:- उत्तर- सुखदेव वल्देव, दक्षिण- समारू, प्रभुदेव, पूरब- रोड, पश्चिम- दारोगा कि भूमि पर धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर वाद भूमि पर उभय पक्ष को जाने रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। सुनवाई के पश्चात दखल- कब्जा के स्थाई निदान हेतु वाद को धारा 145 द०प्र०स० में परिवर्ति कर दिया गया तथा उभय पक्ष को अपने - अपने दखल- कब्जा के दावे के समर्थन में लिखित कथन दाखिल करने का आदेश दिया गया। उभय पक्ष अपने- अपने दखल- कब्जा के दावे के समर्थन में लिखित कथन दाखिल	P.N.O.-01 A-1-19

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई तारीख के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	किये। प्रथम पक्ष की ओर से दखल- कब्जा के समर्थन में राजस्व कागजात एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जबकी द्वितीय पक्ष की ओर से उनकी उपस्थिति के बाद न ही कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने लिखित कथन के अनुरूप बहस करते हुए बताय कि मौजा- छतरपुर के खाता सं०- 4 की भूमि गतसर्वे खतियान करधनी हलुवाई एवं झगर हलुवाई के नाम से संधारित था। करधनी हलुवाई के एक पुत्र मंगरू साव और मंगरू साव के एक पुत्र सरयू साव हुए। सरयू साव इस वाद में प्रथम पक्ष के सदस्य थे जिनकी मृत्यु इस वाद के विचारण के दौरान हो गई इसलिए उनके पुत्र संजय कुमार गुप्ता, धनंजय कुमार गुप्ता, अरविन्द कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता एवं पुत्री लालमुनी देवी को पक्षकार बनाया गया। उसी प्रकार झगर हलुवाई के दो पुत्र सीताराम साव एवं शिवनन्दन साव थे। सीताराम साव के एक पुत्र मनोज कुमार गुप्ता हैं जो इस वाद में प्रथम पक्ष के सदस्य हैं। शिवनन्दन साव के पुत्र बसंत साव हुए। बसंत साव की पत्नी मंजू देवी इस वाद में पक्षकार हैं। खतियानी रैयत के वंशज प्रथम पक्ष के सदस्यगण हैं और इस वाद के भूमि के ऊपर प्रथम पक्ष का हक एवं दखल- कब्जा तथा स्वामित्व का अधिकार स्थापित है। जमीन्दारी जाने के बाद सरयू साव ईत्यादी का इस वाद के भूमि के ऊपर हक एवं दखल कब्जा पाया गया, जिसके आधार पर बुझारत पंजी में सरयू साव का नाम दर्ज करते हुए इस वाद के भूमि को जमाबंदी का संधारण सरयू साव के नाम से किया गया। सरयू साव अपने	



आदेश की क्र. संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जीवन काल तक सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते रहे। हाल सर्वे का खतियान भी प्रथम पक्ष के नाम से तैयार हुआ है तथा इस वाद की भूमि का सीमांकन अंचल अधिकारी, छत्तरपुर के सीमांकन वाद सं०- 39/2005-06 के द्वारा किया गया है। द्वितीय पक्ष के पास इस वाद की भूमि से संबंधित कोई भी कागजात नहीं है। द्वितीय पक्ष बलपूर्वक प्रथम पक्ष के भूमि को हड़पना एवं बेदखल करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का निवेदन है कि इस वाद भूमि के ऊपर प्रथम पक्ष का दखल- कब्जा घोषित किया जाय तथा द्वितीय पक्ष को भूमि पर जाने से रोक लगाई जाए। प्रथम पक्ष की ओर से चार साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:- <u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या- 01 :-</u> रामचंद्र राम पिता स्व० बच्चू राम ग्राम- छत्तरपुर, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने विवादी भूमि पर प्रथम पक्ष के दखल- कब्जा होने का दावा किया है। <u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या- 02 :-</u> मदन प्रसाद गुप्ता पिता स्व० वर्मा साव ग्राम- छत्तरपुर, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने वाद भूमि पर प्रथम पक्ष के दखल- कब्जा होने का दावा किया है। <u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या- 03 :-</u> मंजू देवी पति बसंत प्रसाद गुप्ता ग्राम- छत्तरपुर, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने विवादी भूमि पर दखल- कब्जा होने का दावा किया है। <u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या- 04 :-</u> चंद्र प्रकाश विमल पिता- बसंत	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई तारीख के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रसाद गुप्ता, ग्राम- छत्तरपुर, थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने सरकारी लगान रसीद सं०- J.N/39- 3525238 को इसराईल अंसारी द्वारा निर्गत किये जाने तथा हस्ताक्षर को पहचानने का दावा किया गया है जिसे प्रदर्श-“C” अंकित किया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल दस्तावेज सर्वे खतियान कि प्रति जिसे प्रदर्श- “A”, सीमांकन वाद सं०- 39/2005-06 कि सत्यापित प्रति को प्रदर्श- “B” एवं लगान रसीद सं०- J.N/39- 3525238 को प्रदर्श- “C” के रूप में अंकित किया गया है। प्रथम पक्ष के मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विवादी भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने कि तिथि से पूर्व प्रथम पक्ष का दखल- कब्जा विद्यमान रहा है और इस प्रकार प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल- कब्जा घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यों को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से तब तक के लिये रोक लगाई जाती है जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा अन्यथा कोई आदेश पारित न हो जाय। लेखापित एवं संशोधित।  11/12/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  11/12/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	